तृतीय अध्याय

"महिला पुलिसकर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि"

व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का महत्व परिवर्तन और गतिशीलता के अध्ययन में अत्यन्त उपयोगी स्थान रखता है। परम्परागत, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में व्यक्ति का जो स्थान होता है, उसे ही बिन्दु मानकर परिवर्तन के भावी दिशा मात्र और प्रकृति का मापन किया जाता है। परम्परागत हिन्दू समाजों में जहां सदस्यों का संस्तरण निश्चित परिस्थिति समूहों में हुआ है तथा सामाजिक संस्तरण में व्यक्ति जहां एक निश्चित स्थान से आबद्ध रहा है, ऐसे समाजों में नवीन सामाजिक स्थितियों और भूमिकाओं का मूल्य सामाजिक गतिशीलता के नवीन वास्तविकताओं की बोधगम्यता में सहायक होता है। सामाजिक गतिशीलता एवं परिवर्तन से सम्बन्धित कई अध्ययनों में समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य पर बल दिया है कि व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसकी सामाजिक गतिशीलता में अत्यन्त निकट सम्बन्ध है।

(Sorokin : 1927 and Bandik 1959, Srinivas 1963, Pao 1970, Supham Chandra 1977)

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिस कर्मियों की सामाजिक आर्थिक रचना का पार्श्वचित्र प्रदर्शित किया गया है। आंकड़ों के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों की आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, परिवार का स्वरूप, आमदनी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण उत्तरदात्रियों द्वारा दिये गये आंकड़ों एवं उसके निष्कर्षों के माध्यम से किया गया है।

कार्योजित महिला पुलिस कर्मियों की आयु :–

समाजशास्त्रीय अध्ययनों में आयु का परिवर्तन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्ता है। (Parsans 1953, Bendict 1939, Bass 1953)

आयु एक जैविकीय धारणा है। जिसके द्वारा व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को काल के आयाम पर विभिन्न चरणों या अवस्थाओं बांटा जाता है। जैवकीय दृष्टि से आयु व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से आयु का परिवर्त्य विशेष महत्व रखता है। आदिम समाज से लेकर आधुनिक जटिल समाज एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और भूमिका निर्धारण का एक प्रमुख आधार आयु रही है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में व्यक्ति को अलग–अलग सामाजिक स्थिति, अधिकार उत्तरदायित्व सुविधा एवं सत्ता प्राप्त होती है। अधिकतर विशेषाधिकार प्राप्त है। महिला पुलिस कर्मियों की आयु कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जीवन चक्र के आधार पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। विशेषकर विवाह के बाद उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें भी करना पड़ता है। पति की आय कम होने के कारण अधिकांश महिलाओं को कार्योंजन में भी आना पड़ता है।

सारणी 3.1

आयु के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों का वितरण :–

क्रम सं0	उत्तरदाताओं की आयु	संख्या	प्रतिशत
1	18–30 वर्ष	135	45.00
2	31–40 वर्ष	86	28.66
3	41–50 वर्ष	56	18.66
4	51–60 वर्ष	23	07.66
	योग	300	100.00

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आने वाली समस्त महिला पुलिस उत्तरदाताओं को आयु के आधार पर मुख्य चार वर्गों में बांटा गया है। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि 45.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग की है। 28.66 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी 31 से 40 वर्ष आयु वर्ग की है। 18.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 41 से 50 वर्ष आयु समूह की हैं एवं 7.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग की है। आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मी 18 से 30 वर्ष के बीच की है।

सारणी संख्या– 3.2

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण :–

क्रम सं0	उत्तरदाताओं की आयु	संख्या	प्रतिशत
1	उच्च जाति	60	20.00
2	पिछड़ी जाति	170	56.66
3	अनुसूचित जाति/जनजाति	70	23.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत समस्त महिला पुलिस उत्तरदाताओं को जाति के आधार पर मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्च जाति वर्ग की हैं। 56.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी पिछड़ी जाति वर्ग की हैं तथा 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की है। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि अधिकांश कार्योजित महिला पुलिसकर्मी पिछड़ी जाति की है।

धर्म के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों का विवरण :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों का धर्म के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्योजित महिला पुलिसकर्मी विभिन्न धर्म एवं सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती है।

सारणी संख्या– 3.3

धर्म के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों का वितरण

क्रम सं0	विभिन्न धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू धर्म	110	36.66
2	इस्लाम धर्म	50	16.66
3	सिक्ख धर्म	80	26.66
4	ईसाई धर्म/अन्य	60	20.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मी हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखती है। जिनका प्रतिशत 36.66 है। 16.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ईस्लाम धर्म की है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सिक्ख धर्म एवं 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ईसाई धर्म या अन्य धर्म से सम्बन्ध रखती हैं।

कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों की वैवाहिक स्थिति :–

परम्परागत समाजों में विवाह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारण का एक प्रमुख आधार रहा है, विवाह व्यक्ति को न केवल दाम्पत्य एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से विभूषित करता है वरन् सामाजिक जीवन में विवाह के द्वारा व्यक्ति को एक विशिष्ट सामाजिक स्थान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही है। भारतीय समाजों में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सांसारिक, पारिवारिक एवं

धार्मिक दायत्वों के निर्वाह में समर्थ होता है। कुछ विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वाह विवाहित व्यक्ति ही कर पाता है। यद्यपि आधुनिक भारतीय समाज में विवाह से सम्बन्धित अनेक परम्परागत मान्यताएं परिवर्तित हो गयी है। तथापि विवाह समकालीन भाारतीय समाज में व्यक्ति के सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यक संस्था के रूप में अभी भी विद्यमान है।

महिला पुलिसकर्मियों की वैवाहिक स्थिति :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों का वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके आधार पर महिला पुलिसकर्मियों की चार स्थिति देखने को मिलती है जिसमें विवाहित, अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला पुलिस कर्मी है।

सारणी संख्या– 3.4

वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों का वितरण

क्रम सं0	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	अविवाहित	80	26.66
2	विवाहित	110	36.33
3	विधवा	70	23.33
4	तलाकशुदा	40	13.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 26.66 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी अविवाहित हैं। 36.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित हैं। 36.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विवाहित हैं। 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी विधवा है तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी तलाकशुदा पाई गयी है।

कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों की शिक्षा :–

शिक्षा आधुनिक समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कुछ विशेष योग्यता, कुशलता एवं क्षमता का विकास करता है। व्यावसायिक गतिशीलता की दशा और प्रकृति का निर्धारण शिक्षा के द्वारा ही होता है। आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता का निवारण करके व्यक्ति को आधुनिकता की ओर अग्रसर करती है। विवेकशीलता, गतिशीलता, सहिष्णुता इत्यादि आधुनिकता के लक्षण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों का शिक्षा स्तर उनके लिए प्रकार्यात्मक है।

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

सारणी संख्या– 3.5

उत्तरदाताओं का शिक्षा के आधार पर वितरण

क्रम सं0	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	हाईस्कूल	90	30.00
2	इण्टरमीडिएट	110	36.66
3	स्नातक	60	20.00
4	स्नातकोत्तर/अन्य	40	13.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी अवलोकन से ज्ञात होता है कि 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। 36.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी स्नातकोत्तर तक की परीक्षा पास की है।

महिला पुलिसकर्मियों का मूल निवास के आधार पर विवरण :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिस कर्मियों का उनके मूल निवास के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें ग्रामीण, नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली महिला पुलिसकर्मियों का

अलग–अलग आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी संख्या– 3.6

उत्तरदाताओं का मूल निवास के आधार पर वितरण

क्रम सं0	मूल निवास	संख्या	प्रतिशत
1	ग्रामीण	180	60.00
2	नगरीय	60	20.00
3	अर्द्धनगरीय	60	20.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली हैं। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी नगरीय तथा 20.00 प्रतिशत अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की निवासी हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के स्वरूप का विवरण :–

सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन परिवार का स्वरूप है। भारतीय समाज में यद्यपि परम्परागत रूप से संयुक्त एवं विस्तृत परिवार का अस्तित्व रहा है। तथापि निरन्तर वृद्धि हो रही है। आधुनिक जीवन में आर्थिक परिस्थितियां पारिवारिक संगठन को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गई है। परिवार के सदस्यों का विविध स्थानों पर व्यवसाय करना, आय का सीमित होना, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति एवं स्वतंत्रता भावना ने सीमित परिवार की वृद्धि में प्रोत्साहन प्रदान किया है। संयुक्त परिवार आधुनिक नगरीय जीवन और आर्थिक परिस्थितियों के

दबाव में निरन्तर महत्वहीन होता जा रहा है।

(Ross : 1961, Gor : 1968, Shah : 1970, Desauza : 1974

सारणी– 3.4

उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप,

क्रम सं0	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी	195	65.00
2	संयुक्त	105	35.00
	योग	300	100.00

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के स्वरूप का अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः 195.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का परिवार एकाकी है तथा 105.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का परिवार संयुक्त पाया गया है।

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर विवरण :–

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आने वाली समस्त महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों की संख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या– 3.8

उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या

क्रम सं0	परिवार के सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1	पांच से कम सदस्य	90	30.00

2	छः से दस सदस्य	130	43.33
3	ग्यारह से ऊपर सदस्य	80	26.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों की संख्या 5 से कम है। 43. 33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों की संख्या छः से दस सदस्य है तथा 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों की संख्या ग्यारह से ऊपर है।

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की संरचना के आधार पर विवरण :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के साथ रहने वाले अन्य पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी है। क्योंकि उनके कार्योजित होने से उनके सहायतार्थ अन्य सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। इस तथ्य के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि महिला पुलिस कर्मियों की अभिरूचि व ससुराल के सदस्यों को अपने पास रखने में ज्यादा है या मायके के सदस्यों को। क्योंकि अधिकांशतः यह पाया गया है कि एकाकी परिवारों में महिलायें अपने सहायतार्थ मायके के सदस्यों को ज्यादा वरीयता देती है।

सारणी संख्या– 3.9

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की संरचना के आधार पर विवरण :–

क्रम	पारिवारिक सदस्यों की	संख्या	प्रतिशत

सं0	संरचना		
1	ससुराल सम्बन्धी सदस्य	70	23.33
2	मायके सम्बन्धी सदस्य	190	63.33
3	केवल पति/पत्नी	40	13.33
	योग	300	100.00

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मी मायके सम्बन्धी सदस्यों के साथ रहती है। जिनकी संख्या 63.33 प्रतिशत है। 23.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपने ससुराल सम्बन्धी सदस्यों के साथ रहती है तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी केवल पति–पत्नी के रूप में रहते हैं।

उत्तरदाताओं के मकान का स्वरूप का विवरण :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों मकान के स्वरूप का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या– 3.10

उत्तरदाताओं के मकान का स्वरूप

क्रम सं0	मकान का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा मकान	135	45.00
2	पक्का मकान	60	20.00
3	कच्चा/पक्का मकान	105	35.00

	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों का कच्चा मकान है जिनकी संख्या 45.00 प्रतिशत है। 20 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का पक्का मकान है तथा 35 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों का कच्चा एवं पक्का दोनों ही मकान है।

सूचनादाताओं के परिवार के व्यवसाय के आधार पर विवरण :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के परिवार के व्यवसाय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यह भी प्रयास किया गया है कि उत्तरदाताओं के परिवार का व्यवसाय कृषि, व्यापार, मजदूरी या नौकरी है।

सारणी संख्या– 3.11

उत्तरदाताओं के परिवार का व्यवसाय

क्रम सं0	परिवार का व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	90	30.00
2	व्यापार	60	20.00
3	मजदूरी	60	20.00
4	नौकरी	90	30.00
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का व्यवसाय व्यापार तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार का व्यवसाय मजदूरी एवं 30 प्रतिशत महिला पुलिस उत्तरदाताओं के परिवार का मुख्य व्यवसाय नौकरी है।

सूचनादाताओं का पद के आधार पर विवरण :–

प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत कार्योजित महिला पुलिसकर्मियों का पद के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों के विभिन्न पद जैसे– महिला पुलिस इंस्पेक्टर, महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिस दिवान, महिला पुलिस सिपाही एवं महिला पुलिस होमगार्ड/चौकीदार पदों के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या– 3.12

सूचनादाताओं का पद के आधार पर वितरण :–

क्रम सं0	उत्तरदाताओं की पद	संख्या	प्रतिशत
1	महिला पुलिस इन्सपेक्टर	12	04.00
2	महिला पुलिस सब इन्सपेक्टर	36	12.00
3	महिला पुलिस दिवान	45	15.00
4	महिला सिपाही	127	42.33
5	महिला होमागार्ड/चौकीदार	80	26.66

	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 04.00 प्रतिशत महिला पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। 12.00 प्रतिशत महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। 15.00 प्रतिशत महिला पुलिस दिवान है तथा 42.33 प्रतिशत महिला सिपाही पद पर नियुक्त है एवं 26. 66 प्रतिशत महिला होमगार्ड/चौकीदार है।

सूचनादाताओं की मासिक आदमनी के आधार पर वितरण :–

प्रस्तुत अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिमाह आमदनी के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। महिला पुलिसकर्मी आत्मनिर्भर होने के लिए या अपने परिवार के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए या स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिए कार्योजन में आती है। मध्यम या निम्न वर्ग की महिलायें आय कम होने के कारण आर्थिक आवश्यकतावश इस कार्योजन में आयी हैं।

सारणी संख्या– 3.13

सूचनादाताओं की मासिक आमदनी के आधार पर वितरण :–

क्रम सं0	मासिक आमदनी	संख्या	प्रतिशत
1	रू0 10,000 से 15,000	75	25.00
2	रू0 15,000 से 20,000	125	41.00
3	रू0 20,000 से 25,000	65	21.00
4	रू0 25,000 से ऊपर	35	11.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 25.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की मासिक आय 10,000 से 15,000 रूपये है। 41.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों की मासिक आय 15,000 से 20,000 रूपये है। 21.00 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों की आय 20,000 से 25,000 रूपये प्रतिमा है तथा 11.66 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों की मासिक आय 25,000 रूपये से ऊपर है।

सूचनादाताओं के परिवार की मासिक आय के आधार पर वितरण :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिस कर्मियों के परिवार की मासिक आमदनी के आधार पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

सारणी संख्या– 3.14

उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय

क्रम सं0	परिवार की कुल मासिक आय	संख्या	प्रतिशत
1	रू0 20,000 से 25,000	85	28.33
2	रू0 25,001 से 30,000	160	53.33
3	रू0 30001 से 35,000	55	18.33
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 28.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की कुल मासिक आय 20,000 से

25,000 है तथा 53.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की कुल मासिक आमदमी रू0 25001 से 30,000 रू0 है एवं 18.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की कुल मासिक आय रू0 30,001 से 35,000 रू0 है।

सूचनादाताओं की सेवा अवधि के आधार पर वितरण :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के कार्य करने की अवधि के सम्बन्ध में तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ताकि उनकी व्यस्तता एवं घर गृहस्थी में दिये जाने वाले समय द्वारा उनकी पारिवारिक एवं आर्थिक समायोजन का अध्ययन किया जा सके। यह तथ्य महिला पुलिस कर्मियों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित करने में सहायक होगा। साथ ही साथ उनके परम्परागत गृहणी की भूमिका के साथ अर्थोपार्जन करना और पारिवारिक समायोजन तथा आधुनिकता का विश्लेषण करेगा।

सारणी संख्या– 3.15

उत्तरदाताओं की सेवा अवधि के आधार पर विवरण

क्रम सं0	सूचनादाताओं की सेवा अवधि	संख्या	प्रतिशत
1	पांच वर्ष से कम	115	38.33
2	छः से दस वर्ष	80	26.66
3	ग्यारह से पन्द्रह वर्ष	50	16.66
4	सोलह से बीस वर्ष	30	10.00

5	इक्तीस से पच्चीस वर्ष	10	03.33
6	छब्बीस से तीस वर्ष	10	03.33
7	तीस वर्ष से ऊपर	05	01.66
	योग	300	100.00

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 38.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी पांच वर्ष से कम वर्षों से कार्यरत है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी छः से दस वर्ष के बीच में कार्यरत है। 16.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ग्यारह से पन्द्रह वर्ष के बीच में कार्यरत है। 10.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सोलह से बीस वर्ष के बीच में कार्यरत हैं। 3. 33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इक्कीस से पच्चीस वर्ष के बीच में तथा छब्बीस से तीस वर्ष के बीच में भी 3.33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी कार्यरत है और 1.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी तीस वर्ष से ऊपर वर्षों से कार्यरत है।

उत्तरदाताओं की भाषाओं के आधार पर विवरण :–

मातृभाषा व्यक्ति के विचारों के अभिव्यक्ति का साधन है। वर्तमान अध्ययन में उत्तरदाताओं की बोलचाल एवं प्रयोग की जाने वाली भाषा की जानकारी का अध्ययन किया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजों के सम्पर्क में रहने के कारण अंग्रेजी भाषा की ओर लोगों का झुकाव देखने को मिलता है। इस प्रकार भाषा के रूप में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है।

सारणी संख्या– 3.16

उत्तरदाताओं का भाषा के आधार पर विश्लेषण

क्रम सं0	उत्तरदाताओं की आयु	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दी एवं उर्दू	225	85.00
2	हिन्दी एवं अंग्रेजी	45	15.00
	योग	300	100.00

आंकड़ों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 85 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हिन्दी एवं उर्दू दोनों भाषा लिख–पढ़ एवं बोल सकती है। 15. 00 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा पढ़–लिख एवं बोल सकती है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश महिला पुलिसकर्मी अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त भाषाओं का भी ज्ञान रखती है जो इनकी आधुनिकता का प्रतीक है।

उत्तरदाताओं के घर में आधुनिक सामान :–

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिसकर्मियों के घर में उपयोग की कौन–कौन सी आधुनिक सामग्री है इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है और इसके आधार पर यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि इनके कार्योजन से बढ़ी हुई पारिवारिक आय का किस मात्रा में सुख साधन की वृद्धि हुई है।

सारणी संख्या– 3.17

उत्तरदाताओं के घर में आधुनिक सामान

विचार	डबल बेड	सिलाई/धुलाई मशीन	फ्रीज	कूलर	टेलीविजन	आधुनिक सामग्री
हाँ	190	148	175	239	290	188
नहीं	110	152	125	61	10	112
योग	300	300	300	300	300	300

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महिला पुलिसकर्मियों के यहां आधुनिक सामग्री में 63.33 प्रतिशत के यहां डबल बेड, 44.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के यहां सिलाई, धुलाई मशीन, 58.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के यहां फ्रीज, 79.66 प्रतिशत के यहां कूलर तथा 96.66 प्रतिशत के यहां टेलीविजन और 62.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के यहां आधुनिक सभी सामग्री उपलब्ध है।

वैयक्तिक इतिहास :–

वैयक्तिक इतिहासों के आधार पर भी महिला पुलिस के कार्योजन में आने का कारण उनकी आमदनी, शिक्षा, पद आदि पर प्रकाश डाला गया है। महिलाओं का विवाह के समय या किन्हीं अन्य कारणों से कार्योजन छोड़ना तथा पुनः कार्योजन में जाना आदि।

3.1 :– श्रीमती ''अ'' का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी आयु 45 वर्ष की है तथा पुलिस विभाग में एक महिला पुलिस ''सब इंस्पेक्टर'' हैं। विवाह के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के अभिप्राय से उन्होंने ''20,000 रू0'' मासिक वेतन पर नौकरी कर ली। उस समय वह स्नातक पास थी। नौकरी में आने के पश्चात उनकी

कार्य करने की इच्छा प्रबल होती गयी। जिसके फलस्वरूप उन्हें शीघ्रता शीघ्र पदोन्नति मिल गयी। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि उन्होंने एक ही समय में नौकरी करते हुये अपने बच्चों की भी देख रेख करती रही। यह उल्लेखनीय तथ्य राजकीय सेवा में होने के कारण उनका स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर होता रहा। उस दशा में बच्चों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध कर सकने के कारण उन्हें (बच्चों को) पिता के पास रखना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार बच्चों के लालन–पालन का पूरा दायित्व पिता पर आ पड़ा।

इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि आर्थिक संकट के कारण ही उन्हें नौकरी करने हेतु बाध्य होना पड़ा। अपने परिवार व पति से दूर रहकर उन्हें अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इन सब कारणों से भी उनकी आस्था ईश्वर पर और बढ़ती गयी। अपने सरल व मधुर स्वभाव के कारण वह अपने विभागीय अधिकारियों के मध्य प्रिय बनी रही, तथा जो लोग उनके अधिक सम्पर्क में आये उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध बन गये। वह एक ऐसे परिवार की सदस्या हैं जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने पर विवश करते हैं। उनके पति का निधन 1974 में एक लम्बी बिमारी के कारण हो गया। इस प्रकार परिवार का सारा बोझ उन पर आ पड़ा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई। श्रीमती ''अ'' ने अपने स्थानान्तरण हेतु अनेकों प्रयास किये, किन्तु सब व्यर्थ रहे। इस प्रकार वह मानसिक उलझनों में दबी, और अपनी नौकरी व परिवार को देखती रही। इस समय उनके सभी बच्चे वयस्क हो चुके हैं। कुछ के विवाह भी हो चुके हैं और

नौकरी भी करते हैं। अपने सरल स्वभाव के कारण उनका अपने बच्चों से मधुर सम्बन्ध है। इस समय वह ''इंस्पेक्टर'' के पद पर तैनात है। उनका अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थ ''महिला पुलिसकर्मियों'' के साथ बड़े ही मधुर सम्बन्ध है। और पूर्ण समायोजन है। श्रीमती ''अ'' के सम्बन्ध अपने उच्च अधिकारियों से भी बहुत अच्छे हैं। कार्योजन के कारण अपने परिवार को जितना समय दे पाती है। उनसे वे सन्तुष्ट हैं।

3.2 :– श्रीमती ''ब'' एक अन्य महिला पुलिस थाने में ''इंसपेक्टर'' है। इनकी आयु 55 वर्ष है, यह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये कार्योजन में आई। इनकी शैक्षिक योग्यता 'एम0ए0' है। इन्होंने अपना कार्योजन एक दिवान के रूप में प्रारम्भ किया, बाद में ''सब इंसपेक्टर'' बन गयी। जब यह प्रशिक्षण ले रही थी। उस समय उनका प्रेम एक मुस्लिम नवयुवक से हो गया। वह एक स्कूल में अध्यापक था। उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात् इनके पति को एक 'मिशन' स्कूल में नौकरी मिल गयी। उन्होंने बताया की प्रारम्भ में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण इनके पति ने अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमती ''ब'' ने बताया कि वह अपने पति को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की प्रशंसा करती है। कुछ वर्षों बाद श्रीमती ''ब'' के पति उसी विद्यालय में जहां वह शिक्षक थे वहां के प्रधानाचार्य बन गये तथा श्रीमती ''ब'' जहां कार्यरत थी वहां से उन्हें ''सब इंस्पेक्टर'' पर तैनात किया गया। इस समय श्रीमती ''ब'' के दोनों बच्चों का विवाह हो गया है। इनके पति के साथ में उनके वैवाहिक सम्बन्ध

अच्छे हैं। इनकी बहु आधुनिक प्रवृत्ति की हैं। वह सैर सपाटा करना चाहती है, इस कारण प्रायः सास–बहू में वाद–विवाद हो जाता है। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं है।

3.3 :– श्रीमती ''स'' एक महिला इंस्पेक्टर हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता बी0ए0 है। यह एक उच्च मध्यमवर्गीय परिवार की हैं। इनका जन्म और पालन–पोषण एक सम्पन्न परिवार में हुआ। दुर्भाग्यवश इनके पिता का निधन समय से पूर्व हो गया। इस प्रकार परिवार को आर्थिक कठिनाईयों के मध्य गुजरना पड़ा। इनकी माता जी राजकीय महिला कॉलेज में एक अध्यापिका थी। किसी प्रकार परिवार का भरण–पोषण करती रही। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् श्रीमती ''स'' ने पुलिस विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिया और अपने कड़ी मेहनत से महिला पुलिस इंस्पेक्टर पद पाने में सफल हो गयी। उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम नवयुवक उनके घर आया जाया करता था जो उनके भाई का मित्र भी था। धीरे–धीरे उस युवक से उनके पारिवारिक सम्बन्ध बढ़ते गये और बाद में श्रीमती ''स'' से उस युवक के सम्बन्ध घनिष्ट हो गये। इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने उस युवक से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रारम्भ में घर वालों ने इनका विरोध किया, क्योंकि युवक की आय बहुत कम थी, लेकिन श्रीमती ''स'' की पसन्द व रूझान को देखते हुए घर वालों ने उसी युवक से उनका विवाह कर दिया।

श्रीमती ''स'' ने बताया कि विवाह के बाद वे अपने पति के घर

अधिक दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि पति के घर आने वाले रूढ़िवादी थे। तथा पति का मकान छोटा होने के कारण उनके सामने रहने की भी बड़ी समस्या थी। इस कारण वह पुनः अपने पति को लेकर अपनी मां के घर वापस आ गयी। आर्थिक संकट के कारण उनके पति ने व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो गयी।

इस समय श्रीमती ''स'' के पास दो बच्चे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी है। श्रीमती ''स'' एक आधुनिक विचार वाली महिला हैं। वह अपनी मां के साथ ही रहती है। इस कारण उन्हें कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है।

पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जब वह कार्योजन पर जाती हैं तो उनकी मां जो अवकाश प्राप्त कर चुकी हैं। उनके बच्चों की देख–रेख करती है। कार्य स्थल पर उनके सम्बन्ध अन्य सहयोगियों से अच्छे हैं।

3.4 :– श्रीमती ''ध'' का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता रेलवे के एक कर्मचारी थे। दुर्भाग्यवश उनका निधन उस समय ही हो गया जब उनके सभी बच्चे छोटे थे। उन्होंने बताया कि जिस समय उनके पिता का निधन हुआ वह हाईस्कूल में पढ़ रही थी। उनकी आयु 15 वर्ष थी। तीन बहने थीं जो उनसे आयु में कम थी। पिता के निधन के बाद उन्हें अनेक आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, परिवार का खर्च चलाने के लिये उनकी मां को नौकरी करनी पड़ी। इनकी

माता ने घर का खर्च चलाने के लिये कान्वेन्ट स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में इनका वेतन बहुत कम था। इस कारण यह बच्चों का ट्यूशन करके घर का खर्च चला रही थी। श्रीमती ''ध'' ने बताया कि उस समय सम्बन्धी भी उनसे कतराते थे। सामाजिक समस्याओं एवं सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें कई बार अपना मकान बदलना पड़ा। बाद में अपने परिवार के सम्मान को बढ़ाने एवं आर्थिक सहयोग को दृष्टि में रखते हुये वे पुलिस विभाग में जाने की तैयारी में जुट गयी तथा अपने कठोर परिश्रम एवं लगन से महिला पुलिस विभाग में महिला सिपाही के रूप में नियुक्त हुई।

श्रीमती ''ध'' ने बताया कि एक क्रिश्चियन नवयुवक उनके घर आया जाया करता था, उनके परिवार की सहायता करता था तथा इन लोगों से सहानुभूति रखता था। उस नवयुवक से श्रीमती ''ध'' की घनिष्ठ मित्रता हो गयी। बी0ए0, करने के पश्चात् इन्होंने उसी नवयुवक से विवाह कर लिया। विवाह के उपरान्त यह अपने पति के साथ अपने मां के घर में रहने लगी। इनकी अपनी मां के घर में रहने का उद्देश्य अपनी मां तथा बहनों की सहायता करना था। इस समय श्रीमती ''ध'' के पास दो पुत्रियां हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये ही कार्योजन में आई। इनके पति भी एक फैक्ट्री में 'ड्राफ्टमैन' के रूप में काम करते हैं। इनका सम्बन्ध अपने पति तथा अपनी माता व बहनों से बहुत अच्छा है। इनके पति घर के काम में इनका हाथ बटाते हैं तथा इनके परिवार वालों की पूरी सहायता करते हैं। कार्यस्थल पर इनका अपने सहयोगियों तथा

अधिकारियों के साथ समायोजन अच्छा है।

3.6 :– श्रीमती ''त'' एक महिला पुलिस थाने में महिला सिपाही है। इनकी आयु लगभग 40 वर्ष है। इनके पति एक फैक्ट्री में कम्प्यूटर प्लॉनर हैं। वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से सम्बन्धित हैं।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी जीवन में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बी0एस0सी0 पास करने के पश्चात् उन्होंने अपनी रूचि के अनुसार पुलिस विभाग में कार्य करने के लिये प्रयास करती रहीं और सफलता भी प्राप्त की। कार्योजन में जाने के पश्चात् यह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने लगी। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाई। अपने छोटे भाई–बहनों की आर्थिक सहायता की, तथा इन्हीं दिनों इनके माता–पिता उनके विवाह के सम्बन्ध में चिन्तित थे तथा एक योग्य वर की तलाश में थे। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक योग्य वर मिल गया। जिससे माता–पिता ने इनका विवाह कर दिया। उन्होंने बताया कि विवाह में दहेज को लेकर वाद–विवाद भी हुआ था। इनकी माता–पिता को अपनी हैसियत से अधिक सामान देना पड़ा। इस समय श्रीमती ''त'' के पास एक पुत्री है। उन्होंने बताया कि उन्हें कई वर्षों तक संयुक्त परिवार में रहना पड़ा, जहां उन्हें अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। उन्हें घर का पूरा कामकाज करना पड़ता था। वह अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। इनके पति को फैक्ट्री की

तरफ से क्वार्टर मिल जाने पर यह अपने परिवार से अलग हो गयी। पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि इनका अपने पति से अच्छा सम्बन्ध तथा वह अपने एकाकी परिवार से सन्तुष्ट हैं। पति के घर वालों से इनके सम्बन्ध सामान्य हैं। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं।

वैयक्तिक इतिहास पर टिप्पणी :–

कम उम्र की महिलायें अपने पैरों पर खड़े होने के लिये अथवा घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये कार्योजन में आती हैं।

वह महिलायें जिनके पतियों की आमदनी अच्छी है। वे समय व्यतीत करने या अपनी शिक्षा और गुणों का उपयोग करने के लिये भी कार्योजन में आती हैं।

वे महिलायें जिन महिलाओं के पिता व पति का देहान्त हो गया है, वे आकस्मिक संकट के कारण कार्य में आती हैं।

निष्कर्ष :–

वर्तमान अध्ययन में सम्मिलित महिला पुलिसकर्मियों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गयी है जो उनके परिवर्तनशील स्थिति का बोध कराती है। अध्ययन से विदित होता है कि 45.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 18–30 वर्ष की, 28.6 प्रतिशत 31–40 वर्ष, 18.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 41–50 वर्ष की तथा 07.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 51 से 60 वर्ष के आयु की हैं।

शिक्षा का स्तर यह स्पष्ट करता है कि 30.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हाईस्कूल एवं 36.66 प्रतिशत महिला पुलिस इण्टरमीडिएट पास हैं। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने स्नातक तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिस ने स्नातकोत्तर पास किया है।

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिस कर्मियों का पांच पदों के आधार पर विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें 04.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर पद पर, 12.00 प्रतिशत सब इंस्पेक्टर पद पर, 15.00 प्रतिशत दिवान पद पर 42.33 प्रतिशत महिला सिपाही तथा 26.66 प्रतिशत होमगार्ड/चौकीदार पद पर कार्यरत हैं।

इस अध्ययन में 65.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी एकाकी परिवार की हैं तथा 35.00 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी संयुक्त परिवार की सदस्या हैं। 20.00 प्रतिशत महिला पुलिस उच्च जाति की है तथा 56.66 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 23.33 प्रतिशत महिला पुलिस अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित हैं।

वर्तमान अध्ययन में महिला पुलिस की मासिक आय रू0 10,000 से 15,000 तक 25.00 प्रतिशत, 15,000 से 20,000 तक का 41.0 प्रतिशत, 20,000 ये 25,000 तक का 21.00 प्रतिशत एवं 20,000 से ऊपर आमदनी वाली महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत 11.66 है। अतः स्पष्ट है कि महिला पुलिसकर्मियों की आयगत स्थिति मध्यम आय वर्ग की हैं।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवरण से पता चलता है कि 26.66

प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित अर्थात् कुंवारी हैं, 36.33 प्रतिशत विवाहित, 23.33 प्रतिशत विधवा तथा 13.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी तलाक शुदा हैं।

धर्म के आधार पर आंकड़ों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 36.33 प्रतिशत महिला पुलिस हिन्दू धर्म, 16.66 प्रतिशत ईस्लाम धर्म, 26.66 प्रतिशत, सिक्ख धर्म तथा 20.00 प्रतिशत महिला पुलिस ईसाई एवं अन्य धर्म से सम्बन्धित हैं।

कार्यानुभव के आधार पर आंकड़ों से पता चलता है कि 38.33 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी पांच वर्ष से कम का कार्य का अनुभव रखती है। 26.66 प्रतिशत महिला पुलिस छः से दस वर्ष तक का, 16.66 प्रतिशत 11 से 15 वर्ष तक का, 10.00 प्रतिशत 16 से 20 वर्ष तक का, 3.33 प्रतिशत इक्कीस से पच्चीस वर्ष तक का 3.33 प्रतिशत ही 26 से 30 वर्ष तक का एवं 01.66 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों को 30 वर्ष से ऊपर का कार्य करने का अनुभव है।

महिला पुलिसकर्मियों के परिवार की आमदनी एवं व्यवसाय के विषय में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 28.33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों के परिवार की मासिक आमदनी रू0 20,000 से 25,000 के बीच है, 53.33 प्रतिशत महिला पुलिस के परिवार की मासिक आय रू0 25001 से 30,000 तक है तथा 18.33 प्रतिशत महिला पुलिस के परिवार की मासिक आमदनी रू0 30,001 से 35000 तक हैं।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश महिला पुलिस घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कार्योजन में आयी हैं। कुछ महिला पुलिस ऐसी भी हैं जो स्वतन्त्र रहने की इच्छा से कार्य करती हैं।

अतः कहा जा सकता है कि स्वावलम्बी जीवन के साथ–साथ आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाना ही इनके कार्योजन का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक स्तर की दृष्टि से कार्योजित महिलाएं मध्यमवर्गीय श्रेणी में आती हैं और इनके पतियों का भी सामाजिक/आर्थिक स्तर लगभग सामान्य ही है।

अतः यह स्पष्ट है कि कार्योजन से महिलाओं की परम्परागत भूमिका परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। यह ऐसा परिवर्तन है, जो समाज की अन्य सरहदों को भी छूता है। सबसे अधिक समायोजन की समस्या कार्योजित महिलाओं के लिए पारिवारिक इकाई में उत्पन्न होती है। महिलाओं की कार्योजित भूमिका द्वारा पारिवारिक भूमिकाओं का पुनः समायोजन हो रहा है। इस प्रकार उनकी सामाजिक/आर्थिक पृष्ठभूमि मध्यमवर्गीय पाई गई है।

सन्दर्भ सूची (REFERENCES)

1. Sorokehn, P.A., Social and Cultural Mobily the free press, Geinoos, 1927.

   Lipsel- S.N. and Bendie, R., Social Mobility Industrial Society University of California Press, Barkeley and Los Angle, 1959.

   Srinivas, M.N., Indias Villages, Asia Publishing House, Bombay, 1963

   Rao, M.S., Urbanisation and Social Changes, Orient Longman LTO, 1970

   Chandra. S., Social Participation in Urban Neighbourhoods National Publishing House, New Delhi, 1977

2. Parsons, T., Age and Sex in social structure of the United States, American Sociological Review, 7 October 1942.

Bendik, R., Communities Discontinutee in Cultural conditioning payohiatry, 1939

Bessend, J.H., Parent and Childs University Peneylvenia Press Philadelphia, Rites of passage, 1953.

3. Rani, Kala, Role Conflict in Working Woman chetan Publication, New Delhi, 1976, P. 38

4. Kapur, Pramilla, Marriage and the working women in India, Delhi Vikas Publications, 1970, pp. 62-63

5. Ross, A.D., Hindu Family in its Urban Setting, Oxford University Press, Toronte, 1961.

Gore, M.S. Urbanisation and Family Change in Indian, Popular Bombey, 1968.

Shah, A.M., The Home Hold Domentions of the Family in India, Orient Congmens, Delhi, 1970

6. Desousa, V., Family types and Industrialization in India in George, K.(ed.) family in India a Regional Review, The Hague, 1974.

✵✵✵✵✵